8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	– 9000 वर्ग फिट।
कुल निर्मित क्षेत्र	– 6000 वर्ग फिट।
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	– उपलब्ध
कक्षाओं की संख्या	– बारह (12)
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–सभागार के लिए कक्ष	– दो (2)
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	– उपलब्ध
पेयजल सुविधा	– उपलब्ध
मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई	– उपलब्ध
बाधारहित पहुँच	– उपलब्ध
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालयों की उपलब्धता	– उपलब्ध

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता हैं
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या **L-8 (E) 115/2015** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस विद्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीय

31.XII.15

(चन्द्रकेश सिंह यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।

पृष्ठांकन संख्या मान्यता/ /2015–16 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2– सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3– सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), वाराणसी मण्डल, वाराणसी।
4– वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा, गाजीपुर।
5– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर।
6– कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजीपुर।